भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2239

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एम्स और अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में रिक्तियां

†2239. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थानों जैसे जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) में स्वीकृत पदों और मौजूदा रिक्तियों का जिसमें संकाय कर्मचारी और गैर-संकाय कर्मचारी दोनों शामिल हैं सभी राज्यों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार, संस्थान और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन रिक्तियों का इन संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान उत्पादन या स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भर्ती में तेजी लाने और कर्मचारियों का इष्टतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या प्रस्तावित हैं, जिसमें मौजूदा रिक्तियों को भरने की समय-सीमा भी शामिल है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पुद्दूचेरी और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित नए एम्स चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। इन संस्थानों में विभिन्न विभागों के प्रभावी प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए पदों का सृजन और भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। एम्स, जिपमेर और पीजीआईएमईआर में स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त संकाय और गैर-संकाय पदों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

विभिन्न संस्थानों में रिक्त स्वीकृत संकाय और गैर-संकाय पदों को शीघ्रता से भरने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) प्रत्येक संस्थान में रिक्त संकाय पदों को भरने की सुविधा प्रदान करने के लिए उनके संबंधित अधिनियम के प्रावधान के अनुसार स्थायी चयन समिति का गठन किया गया है।

(ii) नए एम्स में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) और सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी) से सेवानिवृत्त प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर संविदा के आधार पर 70 वर्ष की आयु तक नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

(iii) विजिटिंग फैकल्टी योजना तैयार की गई है, जिसके तहत भारत के सरकारी संस्थानों या भारत के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर कार्यरत प्रोफेसरों, एडिशनल प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों को शिक्षण उद्देश्यों के लिए नए एम्स में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में रखने की अनुमति दी गई है।

(iv) नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के लिए एम्स दिल्ली द्वारा विभिन्न एम्स और जिपमेर के लिए नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा (नॉरसेट) आयोजित की जाती है।

(v) विभिन्न एम्स और जिपमेर में समूह ख और ग गैर-संकाय पदों पर भर्ती के लिए एम्स दिल्ली द्वारा सामान्य भर्ती परीक्षा (सीआरई) आयोजित की जाती है।

(vi) एम्स दिल्ली विभिन्न एम्स, पीजीआईएमईआर और जिपमेर के लिए जूनियर रेजिडेंट (शैक्षणिक) का चयन करने के लिए राष्ट्रीय महत्व संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईएनआई-सीईटी) और सीनियर रेजिडेंट (शैक्षणिक) का चयन करने के लिए राष्ट्रीय महत्व सुपर स्पेशियलिटी संस्थान (आईएनआई-एसएस) परीक्षा भी आयोजित करता है।

*****

अनुलग्नक

01.08.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2239 के उत्तर के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एम्स, पीजीआईएमईआर और जिपमेर में संकाय, गैर-संकाय पदों का विवरण

क्रम संख्या	संस्थानों का नाम और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संकाय पद			गैर-संकाय पद		
		स्वीकृत पद	पदस्थ	रिक्त पद	स्वीकृत पद	पदस्थ	रिक्त पद
1.	एम्स, नई दिल्ली (दिल्ली)	1306	844	462	13911	10805	3106
2.	जिपमेर (पुद्दुचेरी)	445	354	91	5812	4354	1458
3.	पीजीआईएमईआर (चंडीगढ़)	732	601	131	8265	6391	1874
4.	एम्स, भोपाल (मध्य प्रदेश)	305	234	71	3884	2885	999
5.	एम्स, भुवनेश्वर (ओडिशा)	337	234	103	3963	2975	988
6.	एम्स, जोधपुर (राजस्थान)	405	219	186	4084	3142	942
7.	एम्स, रायपुर (छत्तीसगढ़)	305	189	116	3884	2721	1163
8.	एम्स, पटना (बिहार)	305	221	84	3884	2595	1289
9.	एम्स, ऋषिकेश (उत्तराखंड)	355	208	147	4095	2938	1157
10 .	एम्स, मंगलगिरि (आंध्र प्रदेश)	309	151	158	1953	1153	800
11।	एम्स, नागपुर (महाराष्ट्र)	373	234	139	2105	1160	945
12.	एम्स, कल्याणी (पश्चिम बंगाल)	309	170	139	2221	994	1227
13.	एम्स, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	213	115	98	1492	977	515
14.	एम्स, बठिंडा (पंजाब)	219	140	79	2090	1140	950
15.	एम्स, बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)	217	126	91	1511	947	564
16.	एम्स, गुवाहाटी (असम)	183	115	68	1630	744	886
17.	एम्स, देवघर (झारखंड)	208	129	79	1712	879	833
18.	एम्स, बीबीनगर (तेलंगाना)	183	133	50	1374	902	472
19.	एम्स, रायबरेली (उत्तर प्रदेश)	201	113	88	1425	1067	358
20.	एम्स, राजकोट (गुजरात)	183	76	107	1247	535	712
21.	एम्स, मदुरै (तमिलनाडु)	183	49	134	911	43	868
22.	एम्स, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	183	115	68	1311	818	493
23.	एम्स, अवंतीपोरा (जम्मू और कश्मीर)	94	-	94	252	2	250
24.	एम्स, रेवाड़ी (हरियाणा)	-	-	-	7	1	6
25.	एम्स, दरभंगा (बिहार)	-	-	-	7	1	6

*****